



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003/2019/323/वि.प.-33(1)/2020
दिनांक : 27.07.2020

परिपत्र

विद्या-परिषद की 33वीं बैठक दिनांक 19.08.2020 (बुधवार) को पूर्वाह्न 11 बजे साहित्य विद्यापीठ के गालिब सभागार में आयोजित की जा रही है। विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र, समन्वयक, स्नातक पाठ्यक्रम/समन्वयक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, कार्यालय प्रमुख से अनुरोध है कि अपने-अपने विभाग/केंद्रों से प्रस्तावित मुद्दों का विवरण आवश्यक संलग्नक एवं टिप्पणी सहित दिनांक 04.08.2020 तक कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

साथ ही विद्या-परिषद की 32वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में आपके विभाग/केंद्र द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई (Action Taken Report) का विवरण भी दिनांक 04.08.2020 तक कुलसचिव कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

कादर नवाज़
(कुलसचिव) 27/7/2020

प्रति (ईमेल द्वारा) : समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/केंद्र निदेशक/ प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र/समन्वयक, स्नातक पाठ्यक्रम/समन्वयक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम/कार्यालय प्रमुख

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय
2. विश्वविद्यालय वेबसाइट
3. संबंधित पत्रावली